उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–208/8–3–17–04 एल0यू0सी0/10
लखनऊ : दिनांक : 17 मार्च, 2017

शुद्धि–पत्र

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन प्रवृत्त महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में "यातायात एवं परिवहन" भू–उपयोग में "सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पी.पी.पी.)" के आधार पर विकसित किये जाने वाले बस स्टेशन के अन्तर्गत क्रियाओं की अनुमन्यता में संशोधन करने हेतु जारी अधिसूचना सं.–2304/8–3–13–04एल.यू.सी./2010, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 जारी की गयी थी,

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रभाव शुल्क के आंकलन हेतु भूमि के क्षेत्रफल की गणना में कतिपय विसंगति प्रकाश में आयी है, जिसके निराकरण हेतु उक्त अधिसूचना के प्रस्तर 2(III) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

प्रस्तर 2(III) प्रभाव शुल्क की धनराशि प्रस्तर–(II) में उल्लिखित मल्टीप्लेक्स के अन्तर्गत सिनेमा हाल्स तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाओं यथा टिकट विन्डो, स्नैक स्टाल, वेटिंग लाउन्ज एवं प्रसाधन आदि के तल क्षेत्रफल को बस स्टेशन हेतु अनुमन्य बेसिक एफ.ए.आर. से विभाजित करने पर प्राप्त भूमि के क्षेत्रफल पर देय होगी तथा इसकी गणना सम्बन्धित नगर के महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं हेतु निर्धारित फार्मूले के अनुसार की जाएगी।

शिव जनम चौधरी
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

1. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, आवास बन्धु को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार सिंह)
अनु सचिव